न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

बइजलास श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्या 02/2017 निर्णय दिनांक :: — — 2017

गोपीलाल पिता नारायण जी जाति भील आयु वयस्क निवासी चाहखेडी तहसील छोटीसादडी हा.मु. सांगरिया ग्राम पंचायत बडौली माधोसिंह तह.निम्बाहेडा (राज.)
—— अपीलाण्ट

—: ब ना म :—

1— उदयलाल पिता नारायण जी जाति भील आयु वयस्क निवासी चाहखेडी तहसील छोटीसादडी (राज.)
2— प्रभुलाल पिता नारायण जी जाति भील आयु वयस्क निवासी चाहखेडी तहसील छोटीसादडी (राज.)
3— केशीबाई पिता नारायण जी जाति भील आयु वयस्क निवासी चाहखेडी तहसील छोटीसादडी (राज.)
4— जेतूबाई बेवा नारायण जी जाति भील आयु वयस्क निवासी चाहखेडी तहसील छोटीसादडी (राज.)

—— रेस्पोडेण्टस

वाद अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरण सं. 384
ग्राम पंचायत कारूण्डा दिनांक 15—8—2012

उपस्थित :— 1— रोहीताश्व पंचोली एडवोकेट —— अभिभाषक अपीलाण्ट
2— रेस्पोडेण्टस सं. 1 से 4 —— एक तरफा कार्यवाही

—: निर्णय :—

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि :—

1— अपीलाण्ट गोपीलाल ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चापडौल प.स. सेमरडा तहसील छोटीसादडी में आ.नं. 107 रकबा 1.04 हैक्टेयर नारायण पिता नाथू जी भील निवासी चाहखेडी के नाम खातेदारी में दर्ज थी। अपीलाण्ट के पिता श्री नारायण जी का देहान्त हो जाने के बाद रेस्पोडेण्टस ने दुरभिसन्धी कर पंचायत, पटवारी आदि को अंधेरे में रखकर गलत शपथ पत्र व आवेदन ग्राम पंचायत कारूण्डा में पेश कर अपीलाण्ट को पैतृक सम्पत्ति से महरूम रखने हेतु गुपचुप विरासत का इन्तकाल पंचायत कारूण्डा तहसील छोटीसादडी द्वारा दिनांक 15—8—2012 को नामांतरण सं. 384 खुलवा लिया जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को खाते की नकल लेने जाने पर हल्का पटवारी साहब ने बताया इसके बाद अपीलाण्ट ने तहसील से नामान्तरण की नकल प्राप्त कर अपील पेश कर रहा हैं।

2— यह कि अपीलाण्ट ने अपील में आगे अंकित किया कि रेस्पोडेण्ट ने पंचायत आदी में गलत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया तथा पंचायत ने भी जांच नहीं की व रेस्पोडेण्ट के कथन शपथ पत्र पर विश्वास कर गलत आदेश प्रदान कर दिया अपीलान्ट का पारिवारिक सजरा निम्न हैं :—

नारायण (मृतक)

गोपीलाल	उदयलाल	प्रभूलाल	केशीबाई	जेतुबाई
पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्री	पत्नी

3– यह कि अपीलाण्ट के पास काम नहीं होने से ग्राम सांगरिया तहसील निम्बाहेडा चला गया था, पिताजी के देहान्त के समय परिवार के संग चाहखेडी तह॰ छोटीसादडी में ही था व सामाजिक क्रियाक्रम आदि में शामिल शरीक रहा व खर्चा बराबर वहन किया फिर भी रेस्पोंडेण्टस ने जानबुझ कर अपीलाण्ट को सम्पत्ति से मेहरूम करने हेतु झुठे व गलत तथ्य बताकर व गलत व झुठे शपथ पत्र देकर मिल मुलाकर पंचायत से विरासत का गलत नामान्तरण खुलवा दिया जो न्याय व नियम के विरूद्ध होकर नामान्तरकरण काबिले खारीज होने योग्य हैं।

4– यह कि अपीलाण्ट ग्राम पंचायत कारूण्डा से मीला व गलत आदेश ग्राम पंचायत द्वारा दिये जाने की बात कही तो ग्राम पंचायत कारूण्डा ने अपने स्तर से विस्तृत जांच पडताल कर दिनांक 13–1–17 को पुनः नारायण जी के तीन पुत्र होने का पत्र बनाकर वर्तमान सरपंच द्वारा दस्तखत कर सिल आदि लगाकर दिया जो इस अपील के साथ पेश किया तथा अपीलान्ट के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, पहचान पत्र एवं आधार कार्ड आदि पेश किये हे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर रेस्पोडेण्ट सं॰ 1 से 4 को जरिये सम्मन तलब किये गये। दिनांक 1–5–2017 को वकील रेस्पोडेण्ट सं॰ 1 से 4 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुये जिससे उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 2–6–2017 को वकील अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र पेश कर तारीख पेशी नजदीक कर जल्दी सुनवाई करने हेतु पेश किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट गोपीलाल का शपथ पत्र एवं स्वतंत्र गवाह शान्तिलाल का शपथ पत्र तथा प्रभूलाल पिता नारायण का व जेतुबाई बेवा नारायण का शपथ पत्र पेश हुआ। अपीलाण्ट ने दस्तावेज प्रदर्श कराये।

विद्ववान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस अन्तीम सुनी वकील अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। मैंरे द्वारा पत्रावली का भलीभाती अवलोकन कर गम्भीर मनन किया।

अपीलाण्ट के विद्ववान अभिभाषक ने दोराने बहस सर्व प्रथम न्यायालय का घ्यान इस ओर दिलाया कि अपीलान्ट जब गाव चारपोल में स्थित अपने खाते की नकल लेने पटवारी के पास गया तो उसे खाते में नाम नहीं होने की जानकारी हुई इस पर उसने दिनांक 11–1–2017 को नमान्तरण की नकल लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 18–1–2017 को नकल प्राप्त हाने पर उसने जानकारी से एक माह में अपील पेश की है। इन्तकाल की नकल अपीलाण्ट को दिनांक 18–1–2017 को मीलना प्रस्तुत नामान्तरण से साबीत हैं तथा अपीलाण्ट ने दिांक 30–1–17 को यह अपील न्यायालय में पेश की हैं। जो जानकारी से अन्दर मियाद हैं। अपीलाण्ट को नामान्तरण की जानकारी पहले हो ऐसे कोई तथ्य ना तो पत्रावली आये हैं ना रेस्पान्डेन्ट ने पेश किये हैं। जिससे यह माना जा सकता हैं कि अपीलान्ट को नामान्तरकरण की जानकारी उक्त दिनांक को हुई हैं इसलिये यह अपील अन्दर मियाद पेश हुई है।

अपीलाण्ट के अभिभाषक का तर्क हैं कि मृतक नारायण के दो पुत्र उदयलाल व प्रभूलाल नहीं होकर तीन पुत्र हैं। गोपीलाल भी मृतक नरायण का पुत्र हैं। परन्तु

रेस्पोडेन्टस ने पंचायत के सरपंच व पटवारी से मील कर गलत शपथ पत्र देकर व पंचायत पटवारी को गलत तथ्य बता कर उन्हे अंधेरे में रख कर व अपीलाण्ट को पैतृक सम्पत्ति से महरूम रखने हेतु गुपचुप विरासत का इन्तकाल पंचायत कारूण्डा तहसील छोटीसादडी द्वारा दिनांक 15–8–2012 को नामांतरण सं॰ 384 खुलवा लिया हैं जो गलत है। इसलिये उक्त नामान्तरण सं॰ 384 निरस्त फरमाया जावे।

इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट गोपीलाल ने स्वयं अपना व स्वतन्त्र गवाह शान्तिलाल का शपथ पत्र पेश कर शपथ पत्र में अंकित किया हैं कि मृतक नारायण जी के तीन पुत्र थे अपीलाण्ट गोपीलाल भी नारायण का पुत्र है। न्यायालय ने मृतक नारायण के सही वारीसान की जांच करने के लिये तहसीलदार छोटीसादडी को तहरीर जारी कर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश प्रदान किया जिस पर पटवारीने जांच कर रिपोर्ट दी की उदयलाल व प्रभुलाल नारायण के पुत्र हैं व केशीबाई पुत्री हैं व जेतुबाई नारायण की बेवा हैं। जेतुबाई ने नारायण से नाता विवाह कया था जब जेतुबाई ने नाता विवाह किया तब वह गर्भवती थी, तथा नाता विवाह के बाद नारायण के घर पर ही अपीलान्ट का जन्म हुआ है। तथा अपीलान्ट गोपीलाल नाबालीग अवस्था में नारायण के साथ ही रहा है। परन्तु उक्त रिपोर्ट में यह अंकित नहीं हैं कि नाता किया तब कितने समय का गर्भ था, नाता विवाह के कितने समय बाद वह पैदा हुआ तथा जेतुबाई के पुर्व पति से उसका तलाक कब हुआ। पटवारी यह कैसे व किस आधार पर कह सकता हैं की अपीलाण्ट गोपीलाल जेतुबाई के पुर्व पति की ओलाद है। यह सम्भव हैं कि जेतुबाई नाता विवाह के पहले गर्भवती हो पर यह निश्चीत रूप से नहीं कहां जा सकता कि वह नारायण की ओलाद नहीं हो।

इसके अलावा अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत बोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड व मुख्य रूप से आधार कार्ड की फोटो प्रतिया पेश की हैं जिसमें अपीलाण्ट गोपीलाल के पिता का नाम नारायण अंकित हैं। इन दस्तावेजो के आधार पर भी यह साबीत हैं कि अपीलान्ट नारायण का पुत्र हैं। इसके अलावा रेस्पोडेण्ट सं॰ 2 व 4 प्रभूलाल व जेतुबाई ने अपने विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने के बाद भी दिनांक 3–7–17 को न्यायालय में शपथ पत्र पेश किये हैं जेतुबाई अपने शपथ पत्र में कहती हैं कि नाता विवाह के समय वह गर्भवती थी, परन्तु नारायण व जेतुबाई के बीच यह बात तय हुई जो सन्तान पैदा होगी वह नारायण की मानी जावेगी व नारायण की सम्पत्ति में उसका हक व अधिकार रहेगा। जब इतना स्पष्ट मृतक नारायण व उसकी पत्नी जेतुबाई के मध्य करार था तो अपीलान्ट को उसके हक व अधिकार से वन्चीत रखना उचित व विधि सम्मत नहीं है। इसके अलावा प्रभुलाल स्वयं रेस्पोडेण्ट ने भी अपना शपथ पत्र देकर कहा कि अपीलाण्ट गोपीलाल हमारा भाई हैं व उसके पिता का वैध वारीस हैं। व पैतृत आराजियात में उसका हक व हिस्सा है। गोपीलाल अपने हक हिस्से पर काबीज हैं। पहले गोपीलाल के नाम का नामान्तरण नहीं खोला गया था जो गलत हैं अब अपीलाण्ट गोपीलाल के नाम पर भी नामान्तरण खोला जाता हैं तो उसमे उसकी सहमती होकर उसको कोई आपत्ती व एतराज पहीं है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि अपीलाण्ट मृतक नारायण का पुत्र हैं तथा दिनांक 15–8–2012 को खोले गये नामन्तरण सं॰ 384 में उसका अंकित नहीं किया गया हैं जोगलत होने से नामान्तरण सं॰ 384 दिनांक 15–8–2012 को निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट गोपीलाल का नाम जोडते हुवे पुनः नामान्तरण खाला जाना विधि सम्मत प्रतित होता है। अतः परिणम स्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर आदेश प्रदान किया जाता हैं कि :–

उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

— आदेश —

अतः प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचयत कारूण्डा तहसील छोटीसादडी का विरासत का नामान्तरण सं॰ 384 दिनांक 15–8–2012 को निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट गोपीलाल पिता नारायण भील का नाम जोडते हुये सही एवं विधि सम्मत विरासत का नामान्तरण पुनः खोला जावे। खर्चा पक्षकाररान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 6 – 6 – 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़